न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा **R.A.S.**
राजस्व वाद संख्या :– 30/22पुराना, 263/23 नया दायर तारीख :– 05.04.2022
01. मंगलाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति बलाई निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. केशरा पुत्र छोटूराम –फौत के बजायः–
   1/1–फूली देवी पत्नी केसराराम (फौत)
   1/2 गणेश राम पुत्र केसराराम
   1/3 भागचन्द पुत्र केसराराम
   1/4 प्रभाती देवी पुत्री केसराराम
   1/5 बन्नी देवी पुत्री केसराराम
   समस्त जाति जाट निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल
2. सागरमल पुत्र ईश्वराम जाति जाट निवासी लूनियावास
3. अनारी देवी पत्नी मदनलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल
5. कमल पुत्र मदनलाल
6. राजू पुत्र मदनलाल
7. विकास पुत्र मदनलाल
8. रीना पुत्री मदनलाल
9. रमेश पुत्र मदनलाल
10. कमोदेवी पत्नी रूघाराम
11. सुमन पुत्री रूघाराम
12. कौशल्या पुत्री रूघाराम
13. टीकम चन्द पुत्र रूघाराम
14. पिंकी पुत्री रूघाराम
15. पिन्टू पुत्र रूघाराम
    समस्त जाति मीणा निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल
16. भू–धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
17. श्रीमान उपपंजीयक महोदय कि0 रेनवाल।
18. पटवारी हल्का लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 18/07/25

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 7.6376 हैक्टैयर वाके ग्राम लूनियावास पटवार हल्का लूनियावास भू0अ0नि0 बधाल तह0 कि0 रेनवाल में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 15 की सयुंक्त खातेदारी कब्जे काश्त की अविभाजित पैतृक कृषि भूमिया है। जिसका वादी व प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 15 के बीच आज दिना तक बाई मिट्स व बाउंडस विभाजन नहीं हुआ है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमियो में वादी का 181/604 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का समान रू० से

121/604—121/604 हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का सयुंक्त रूप से 181/1208 हक हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 का सयुंक्त रूप से 181/1208 हक हिस्सा है, तथा इसी हक व हिस्से अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की अविभाजित शामलाती कृषि भूमि है। विवादित भुमि का पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वीकृति से वर्षो पूर्व बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी का हिस्सा वादग्रस्त भुमियों के उत्तर—पश्चिम कोने पर है। जिसकी अलग सीमा कायम कर रखी है विवादित भुमि के दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 3 ता 15 का हिस्सा व उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकारान विवादित भुमियों पर काबिज काश्तकार रह कर निरन्तर व निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 की अविभाजित शामलाती कृषि भूमि है जिसका पक्षकारान के बीच आज तक विधिवत बाई मिट्स व बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान बिना विधिवत बंटवारा किये ही आपसी सहमति व स्वीकृति से मौके पर वाहमी बंटवारा कर अपना अपना अंदाजे से हक हिस्सा अलग अलग तय कर रखा है। व अपने अपने हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे है वाद वर्णित विवादित भुमि के सयुंक्त खाते की होने की बजह से पक्षकारान के बीच रोज विवाद होने की संभावना रहती है। पक्षकारान का विवादित भूमि को बिना विधिवत बाई मिट्स व बाउण्डस बंटवारा किये बिना शामलाती काश्त किया जाना एक असंभव व दुष्कर कार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का बाई मिट्स व बाउण्ड पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाया जाकर उक्त शामलाती कब्जे काश्त की भुमिया का अपने हक हिस्से व काबिज काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी का अलग एकाकी खाता, कब्जा व लगान निर्धारित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है, तद्हेतु यह वाद पत्र नियोचित किया जा रहा है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/5 तथा 2 लगायत 15 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्याा 16, 17,18 पैरोकार सरकार है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी , फोटो प्रति रिलीज डीड दिनांक 10.12.14पेश की साक्ष्य में वादी मंगलाराम, गवाह मांगूराम,गवाह दिनेश कुमार कुमावत के बयान लेख बद्ध किये गये है।

4. प्रकरण दिनांक 21.06.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

5. बहस वादीगण व पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वादी की ओर से नक्शे कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शे कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शे कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुरेंजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वाके ग्राम लूनियावास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	मंगलाराम पुत्र गोमा हि0 181 / 604 जाति बलाई सा0 देह खातेदार केशरा पुत्र छोटू हि0 121 / 604 जाति जाट सा0देहखातेदार राहिन हिस्सा 121 / 604 पूर्ण खाता .सागरमल पुत्र ईसरा हिस्सा 121 / 604 पूर्ण खाता आईसीइआईसीआई बैंक लिमिटेड मदनलाल पुत्र कल्याण हि0 181 / 1208 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 181 / 1208 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक बधाल	खसरा नम्बर 87 / 2, रकबा 0.1500 हैक्टेयर,
2	मंगलाराम पुत्र गोमा हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार	खसरा नम्बर 87 / 1, रकबा 2.2438है0
3	मदनलाल पुत्र कल्याण हि0 1 / 2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार रूपाराम पुत्र कल्याण हि01 / 2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 2 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बधाल	खसरा नम्बर 87 / 4 रकबा 2.2438 हैक्टेयर,
4	केशरा पुत्र छोटू हि0 1 / 2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 2 पूर्ण खाता आई सीआईसी आई बैंक लिमिटेड शाखा जयपुर सागरमल पुत्र ईसरा हिस्सा 1 / 2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 2 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा जयपुर	खसरा नम्बर 87 / 3, रकबा 3.0000है0

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुरेंजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर / रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/7/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल सत्यमेव जयते

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
बइजलास :— सुनिता मीणा आर.ए.एस.
01. मंगलाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति बलाई निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. केशरा पुत्र छोटूराम —फौत के बजायः—
   1/1—फूली देवी पत्नी केसराराम (फौत)
   1/2 गणेश राम पुत्र केसराराम
   1/3 भागचन्द पुत्र केसराराम
   1/4 प्रभाती देवी पुत्री केसराराम
   1/5 बन्नी देवी पुत्री केसराराम
   समस्त जाति जाट निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल
2. सागरमल पुत्र ईश्वराम जाति जाट निवासी लूनियावास
3. अनारी देवी पत्नी मदनलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल
5. कमल पुत्र मदनलाल
6. राजू पुत्र मदनलाल
7. विकास पुत्र मदनलाल
8. रीना पुत्री मदनलाल
9. रमेश पुत्र मदनलाल
10. कमोदेवी पत्नी रूघाराम
11. सुमन पुत्री रूघाराम
12. कौशल्या पुत्री रूघाराम
13. टीकम चन्द पुत्र रूघाराम
14. पिंकी पुत्री रूघाराम
15. पिन्टू पुत्र रूघाराम
   समस्त जाति मीणा निवासी लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल

16. भू—धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
17. श्रीमान उपपंजीयक महोदय कि0 रेनवाल।
18. पटवारी हल्का लूनियावास तहसील कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

मुकदमा नंबर 30/2022 पुराना,263/23 नया

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मण सिंह. मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाकै ग्राम लूनियावास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित शामलात भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मंगलाराम पुत्र गोमा हि0 181/604 जाति बलाई सा0 देह खातेदार केशरा पुत्र छोटू हि0 121/604 जाति जाट सा0देहखातेदार राहिन हिस्सा 121/604 पूर्ण खाता ,सागरमल पुत्र ईसरा हिस्सा 121/604 पूर्ण खाता आईसीइआईसीआई बैंक लिमिटेड मदनलाल पुत्र कल्याण हि0 181/1208 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 181/1208 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक बधाल	खसरा नम्बर 87/2, रकबा 0.1500 हैक्टेयर,
2	मंगलाराम पुत्र गोमा हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार	खसरा नम्बर 87/1, रकबा 2.2438है0
3	मदनलाल पुत्र कल्याण हि0 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार रूधाराम पुत्र कल्याण हि01/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बधाल	खसरा नम्बर 87/4 रकबा 2.2438 हैक्टेयर,
4	केशरा पुत्र छोटू हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता आई सीआईसी आई बैंक लिमिटेड शाखा जयपुर सागरमल पुत्र ईसरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा जयपुर	खसरा नम्बर 87/3, रकबा 3.0000है0

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10/7/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्नर	–	–
मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–

मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प अर्जी	–	–
महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्नर	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़ रेनवाल